प्रेस नोट 04.02.2021

चोरी की मोटरसाइकिल व नाजायज चाकू के साथ दो शातिर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2021 को थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मखबिर की सूचना पर मडइया गेट के पास से अरूण कुमार पुत्र रामसरिख, परशुराम राजभर उर्फ पंकज राजभर पुत्र शिवबचन राजभर निवासीगण बड़ागांव थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से एक फर्जी नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल हिरो होण्डा सीटी 100 व दो अदद नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 48/21 धारा 41,411,413,419,420 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद अवैध चाकू के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 49,50/21 धारा 4/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. अरूण कुमार पुत्र रामसरिख बड़ागांव थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।
2. परशुराम राजभर उर्फ पंकज राजभर पुत्र शिवबचन राजभर निवासी बड़ागांव थाना सरायलखंसी मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद मोटरसाइकिल हिरो होण्डा सीटी 100 फर्जी नम्बर प्लेट।
2. दो अदद नाजायज चाकू।

अवैध चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

दिनांक 03.02.2021 को थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान खुरहट के पास से सैफुद्दीन उर्फ छोटु पुत्र नियामतुल्लाह निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 15/21 धारा 4/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 13 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा गया प्रसाद, सुरेश साहनी निवासीगण कस्बा दोहरीघाट थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा फूला देवी, विजय प्रकाश निवासीगण मो0पुर हसनपुर, सुनील, गोलू, अनुराग निवासीगण मुस्कुरा थाना घोसी, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा भूवाल राजभर, कार्तिक निवासीगण परदहा थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा चन्द्रेश कुमार निवासी गजियापुर, नरेश यादव निवासी गगउपुर, विनोद, संजय निवासीगण मीरपुर थाना मधुबन, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा राकेश सिंह, मुकेश सिंह निवासीगण बढुआगोदाम, शैलेन्द्र कुमार निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 04.02.2021 को **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम मे पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन मे परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के द्वारा स्काउट एण्ड गाईड के बच्चो की जागरूकता रैली निकाली गयी** जो गाजीपुर तिराहा से चलकर आजमगढ़ मोड पर जाकर समाप्त हुयी। इस अवसर पर परिवहन विभाग के ए0आर0टी0ओ0 मऊ श्री महेन्द्र बाबू ,पी0टी0ओ0 श्री मानवेन्द्र सिंह, यातायात पुलिस के प्रभारी यातायात श्री संतोष कुमार यादव ,रमेश कुमार, गोविन्द चौबे, प्रवीण गुप्ता आदि अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस पैदल रैली का मुख्य उद्देश्य आम जनता को जागरूक करना एंव जानकारी प्रदान करना रहा ताकि वाहन चलाते समय यातायात नियमो का पालन करे, सड़क दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाया जा सके। दिनांक 21.01.2021 से 20.02.2021 तक चलने वाले माह के अन्तर्गत यातायात नियमो का पालन करने हेतु विगत दूसरे सप्ताह मे जनता को विभिन्न माध्यमो से जागरूक किया गया तथा यातायात नियमो का पालन न करने वाले वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध ओवर स्पीडिंग, नशे की हालात मे ड्राईविंग, रांग साईड ड्राईविंग, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग, हेलमेट व सीट वेल्ट न धारण करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्यवाही 20.02.2021 तक निरन्तर चलती रहेगी, ताकि पूर्व की अपेक्षा आगे सड़क दुर्घटनाओ मे कमी लायी जा सके, एंव सड़क दुर्घटनाओ मे मृत्यू को कम किया जा सके। साथ ही अनुशासित रहकर यातायात नियमो का पालन करने हेतु बाध्य किया जा सके।